कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपषहर रोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202001 * ई–मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 1182/14–1, दिनांकःअलीगढ़ःसितम्बर 10, 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद अलीगढ़ में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 चैनेज 62.5 बॉयी पटरी पर खसरा संख्या–203 ग्राम–अर्राना, तहसील–खैर, में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0720 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 21 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 467/Aligarh/11710/यू0पी0–068/2015, दिनांक 26.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक 1182/14–10, दिनांक 08.09.2015 द्वारा निम्न प्रकार किया गया हैः–

1. संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रवेश, निकासी मार्ग एवं मध्य भाग में अलग–अलग अवस्थित वृक्षों की सूची अंकित कर दी गयी है। संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित कर दिये गये है।
2. प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर संस्तुति अंकित कर दी गयी है।
3. प्रस्तावित वन भूमि की गणना अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार कर दी गयी है।
4. पार्ट–2 में बाधक 21 वृक्षों का विवरण प्रवेश मार्ग, मध्य भाग, निकास मार्ग के अनुसार कर दी गयी है एवं कमानुसार संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र पर बाधक वृक्षों की व्यासवार संख्या अंकित कर दी गयी है।
5. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित कर दिया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ अनुमोदित ले–आउट प्लान के आधार पर डिजीटल मानचित्र तैयार कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव के साथ स्पष्ट पठनीय अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में पुनः संलग्नकर संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1017/14–1, समदिनांकित।

1– प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके पत्रांक 1182/14–10, दिनांक 08.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि–डिवीजनल मैनेजर एस्सार आयल लिमिटेड, ए–5, सैक्टर–3 नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii